न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 88 / 2023

प्रकरण दर्ज तिथि :— 24.08.2023

जीसीएमएस नम्बर :— 2023 / 197

वादी

प्रकाशचन्द पुत्र जगदीशचन्द्र, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल निवासी नानणा, तहसील—रायपुर जिला—ब्यावर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1 कंचन पत्नि श्री मोहन, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा, तहसील रायपुर
2. कंचनदेवी पत्नि श्री देवीलाल, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा,
3. कान्ता पुत्र श्री डुगा, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
4. किशना पुत्र श्री जफरू, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
5. कोशल्या पुत्री श्री रोशन, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
6. खेमराज पुत्र श्री देवीलाल, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा,
7. पतासी पत्नि श्री भीमा, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
8. पप्पुलाल पुत्र श्री डुंगा, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
9. पिंकी कुमारी पुत्री श्री देवीलाल, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा
10. पिन्टु कूमार पुत्र श्री देवीलाल, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा,
11. मुकेश पुत्र रोशन, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
12. मदन पुत्र श्री रहीमा, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
13. मीनाकुमारी पुत्री श्री देवीलाल, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा
14. मोहन पुत्र श्री रहीमा, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
15. रमेशसिंगाडींया पुत्र श्री अन्नाराज, उम्र—वयस्क, जाति जटिया, निवासी जटीयों का बास सोजत तहसील सोजत,
16. राजेन्द्र पुत्र श्री भीमा, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
17. शांति पुत्री श्री डुगां, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
18. सुरेश पुत्र श्री रोशन, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
19. सुवोदवी पत्नि श्री रोशन, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
20. हेमराज, पुत्र श्री देवीलाल, उम्र—वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
21. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला ब्यावर राज.

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 92 व 188 राज. काश्त. अधि.

1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी उपस्थित

2 प्रतिवादीगण संख्या 1,07,14, 15, 16 की ओर से भुपेन्द्र सेन अधिवक्ता शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय **दिनांकः 02.09.2024**

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 'ए' 92 एवं 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा देवलीखुर्द, पटवार हल्का रेलडा, भू. अभि.निरिक्षक क्षैत्र गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2073—2076 के खाता सं. 24 खसरा सं. 10 रकबा 0.0162 हैक्टैयर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा सं. 11 रकबा 1.9830 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 12 रकबा 0.1295 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, मे वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि आई हुई है। वादी की खरीद शुदा भुमि है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2075—2078 की प्रमाणित प्रति, नक्शा की प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। आगे वादपत्र के पद 1 में वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात मे से वादी का 29 / 160 वा हिस्सा बनता है उस का वादी खातेदार काश्तकार रेकर्ड दर्ज है, जो वादी ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 20 तक का हिस्सा दर्ज रेकर्ड जमाबन्दी मे वर्णित अनुसार है। वादी खरीद दिंनाक से आज दिंनाक तक मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

पर कब्जे अनुसार कब्जा काश्त कर रही है एवं मौके पर वादी का कब्जा काश्त बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण की सम्पुर्ण भुमि एक खाते मे शामलाती दर्ज है व नक्शा में भी विवादित खसरा की भुमि की एकं जोत दर्शाई गयी है। मोके के कब्जे व काश्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। विवादित भुमि राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण उसका फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 से 20 की वादी की भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है। वादी एवं प्रतिवादी के बीच कब्जे को लेकर एवं माठ को लेकर आए–दिन झगडा–फसाद होते रहते हैं। इसलिये वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 20 के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। वर्तमान मे समस्त खातेदारों का राजस्वे रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बिना किसी रोक टोक के कब्जा चला आ रहा है। वादी के कब्जे की भुमि को प्रतिवादी से बचाने के लिए एंव उनसे बॅटवाडा करवाने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया जा रहा है। वादी ने खरीद के बाद कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 से 20 से निवेदन किया कि वादपत्र के पेरा नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी मे वादी के हिस्से पर कब्जा नही करे एवं विवादित भुमि को अपने–अपने हिस्से अनुसार बंटवाडा करवा लेवें, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 20 ने वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर उक्त आराजी भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा रहते है। वादी के बार–बार बंटवाडा करने की बात कहने पर प्रतिवादीगण ने बंटवाडा करने हेतु मना कर दिया। इसलिए वादी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस कारण उक्त वाद तकास्मा का पेश किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 20 से विवाद होने पर बार बार अपने कब्जे अनुसार बंटवाडा करने का निवेदन किया एवं वादी की भुमि मे दखलअदांजी नही करने का निवेदन किया जो प्रतिवादीगण ने बंटवाडा करने से मना कर दिया। वादी ने पुनः निवेदन कर प्रार्थना कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बंटवाडा मौके पर कब्जे अनुसार तकास्मा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से एवं कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस मे तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहा–मगर प्रतिवादीगण की नियत सहीं नहीं होने से उन्होंने बन्टवाडा करवाने से दिंनाक 03.08.2023 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादी अपने कब्जे अनुसार विवादित भुमि का तकास्मा करवाने की अधिकारी है इसलिए दावा बंटवाडा तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं। वाद तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भुमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भुमि में किसी प्रकार की दंखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स होगी, जिससे वादी को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पडेगा। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जे के अनुसार तकास्मा कर नक्शा तरमीम करवा कर खातेदारी अलग–अलग अपने–अपने हिस्से अनुसार करवाने के लिये बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रही है। बिनायदावा दिंनाक 03.08.2023 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से भुमि का कब्जे अनुसार विवादित भुमि का तकास्मा करने का कहने [illegible] करने व वादी को अपने हिस्से की भुमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने प[illegible] कामली खुर्द पटवार हल्का रेलडा मे पैदा हुआ जो अन्दर मयाद हकअख्त्यार [illegible] तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादी का वाद उनके हक में प्रथमदृष्टया साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादी के पक्ष में है । जिस अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण 1 से 20 को उपरोक्त वादपत्र के पैरा. सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

पक्षकार बनाया गया है। एवं प्रतिवादी सं. 21 राजस्थान सरकार जरिये भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं जिनको कि वाद दायर से 2 माह पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादी के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादी की आराजियात से बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का वाद पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। वादी की उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात ग्राम देवली खुर्द पटवार हल्का रेलडा, तहसील रायपुर में स्थित होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार मे है। वादपत्र के साथ द्वितीय प्रति, शपथपत्र कि प्रति पेश है जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। मालियत दावा बगर्ज कोर्ट फीस बाबत् तकास्मा आराजी व बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा रूपये 200/–,200/– की कायम की जाती है जिस पर मुकर्र सुदा फिक्स कोर्ट फीस स्टाम्प 6/– बतौर रशुम के वाद के साथ पेश है।यह है कि इस्तेदुआ वादी की निम्न है कि :–डिक्री तकास्मा वादी बहक प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय से जारी कि जावे कि सरहद मौजा देवलीखुर्द, पटवार हल्का रेलडा, भू. अभि.निरिक्षक क्षैत्र गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2073–2076 के खाता सं. 24 खसरा सं. 10 रकबा 0.0162 हैक्टैयर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा सं. 11 रकबा 1.9830 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 12 रकबा 0.1295 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम मे वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि आई हुई है। वादी की खरीद शुदा भुमि है। विवादित भुमि मे वादी का 29/160 वा हिस्सा बनता है। उपरौक्त विवादित भुमि मौके पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बंटी हुई है। विवादित भुमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा काश्त है। परन्तु विवादित भुमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड मे बटी हुई नही होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है इसलिये वादी के हिस्से अनुसार भूमि की नेखमबन्दी व पत्थर गढढी करवायी जावे, व मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादी को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे मे बटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे मे अलग दर्शाई जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा लगान बंटा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 20 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजदूर, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादी के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काश्त आदि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अडचन उत्पन्न करे, और ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोघ उत्पन्न होते हो। कि खर्चा वाद वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित माने तो वादी को दिलाया जावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 20के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए डी तामिल गये। प्रतिवादीगण सं. 1,07,14, 15, 16 की ओर अधिवक्ता श्री भुपेन्द्र सेन ने वकालत नामा पेश किया प्रतिवादीगण तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी ने माफिक रेकर्ड एवं मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी करने के आदेश दिये गये।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/1080 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

बंटवाड़ा प्रस्ताव का वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा अवलोकन किया गया।
वकील वादी व प्रतिवादी ने बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। वकील वादी व प्रतिवादी की बहस समायत की गई। बहस व पत्रावली के अवलोकन व मनन् के पश्चात् सरहद मौजा देवलीखुर्द, पटवार हल्का रेलडा, के खसरा सं. 10 रकबा 0.0162 हैक्टैयर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा सं. 11 रकबा 1.9830 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 12 रकबा 0.1295 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा देवलीखुर्द पटवार हल्का रेलड़ा के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	प्रकाशचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र हि. पूर्ण जाति मेघवाल सा. नानणा खातेदार	11/1 11/2	0.0930 0.2898	बा. दो. बा दो.	0.14 0.45
		2	0.3828	बा.दो.	0.59
2	रमेश सिगाडिया पुत्र अन्नराज हि0 पूर्ण जाति जटिया सा. सोजत पाली खातेदार	11/3	0.0792	बा. दो.	0.12
3	1. कंचन पत्नि मोहन हि. 1/25 2. कंचनदेवी पत्नि देविलाल हि. 4/375 3. कुलदीप पुत्र पप्पुलाल हि. 2/125 4. कांता पत्नि डुंगा हि. 8/125 5. किशना पुत्र जफरू हि. 8/125 6. कौशल्या पुत्री रोशन हि. 1/25 7. खेमराज पुत्र देवीलाल हि. 4/375 8. पतासी पत्नि भीमा हि. 48/125 9. प्रदीप पुत्र पप्पुलाल हि. 2/125 10. पिंकी कुमारी पुत्री देवीलाल हि. 4/375 11. पिन्टुकुमार पुत्र देवीलाल हि. 4/375 12. मुकेश पुत्र रोशन हि. 1/25 13. मदन पुत्र रहीमा हि. 1/25 14. मीनाकुमारी पुत्री देवीलाल हि. 4/375 15. मोहन पुत्र रहीमा हि. 1/25 16. राजेन्द्र पुत्र भीमा हि. 2/125 17. रीना पुत्री पप्पुलाल हि. 2/125 18. शान्ति पुत्री डूंगा हि. 8/125 19. सुमित्रा पत्नि पप्पुलाल हि. 2/125 20. सुरेश पुत्र रोशन हि. 1/25 21. सुवादेवी पत्नि रोशन हि. 1/25 22. हेमराज पुत्र देवीलाल हि. 4/375 जाति [illegible] सा. नानणा खातेदार	11 12	1.5210 0.1295	बा. दो. बा दो.	2.34 0.20
	1. प्रकाशचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र हि. 29/160 जाति मेघवाल सा. नानणा 2. रमेश सिगाडिया पुत्र अन्नराज हि. 3/80 जाति जटिया	10	0.0162	गै.मु. बेरा	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

	सा. सोजत पाली खातेदार 3. कंचन पत्नि मोहन हि. 1/32 4. कंचनदेवी पत्नि देविलाल हि. 1/120 5. कुलदीप पुत्र पप्पुलाल हि. 1/80 6. कांता पत्नि डुंगा हि. 1/20 7. किशना पुत्र जफरू हि. 1/20 8. कौशल्या पुत्री रोशन हि. 1/32 9. खेमराज पुत्र देवीलाल हि. 1/120 10. पतासी पत्नि भीमा हि. 3/10 11. प्रदीप पुत्र पप्पुलाल हि. 1/80 12. पिंकी कुमारी पुत्री देवीलाल हि. 1/120 13. पिन्टुकुमार पुत्र देवीलाल हि. 1/120 14. मुकेश पुत्र रोशन हि. 1/32 15. मदन पुत्र रहीमा हि. 1/32 16. मीनाकुमारी पुत्री देवीलाल हि. 1/120 17. मोहन पुत्र रहीमा हि. 1/32 18. राजेन्द्र पुत्र भीमा हि. 1/80 19. रीना पुत्री पप्पुलाल हि. 1/80 20. शान्ति पुत्री डूंगा हि. 1/20 21. सुमित्रा पत्नि पप्पुलाल हि. 1/80 22. सुरेश पुत्र रोशन हि. 1/32 23. सुवादेवी पत्नि रोशन हि. 1/32 24. हेमराज पुत्र देवीलाल हि. 1/120 जाति भांड सा. नानणा खातेदार				

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, **रायपुर (ब्यावर)**

यह निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:35 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमें इबतदाई

ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,बमुकाम – रायपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 88/2023

वादी

प्रकाशचन्द पुत्र जगदीशचन्द्र, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी नानणा, तहसील–रायपुर जिला–ब्यावर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1 कंचन पत्नि श्री मोहन, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा, तहसील रायपुर
2. कंचनदेवी पत्नि श्री देवीलाल, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा,
3. कान्ता पुत्र श्री डुगा, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
4. किशना पुत्र श्री जफरू, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
5. कोशल्या पुत्री श्री रोशन, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
6. खेमराज पुत्र श्री देवीलाल, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा,
7. पतासी पत्नि श्री भीमा, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
8. पप्पुलाल पुत्र श्री डुंगा, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
9. पिंकी कुमारी पुत्री श्री देवीलाल, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा
10. पिन्टु कूमार पुत्र श्री देवीलाल, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा,
11. मुकेश पुत्र रोशन, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
12. मदन पुत्र श्री रहीमा, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
13. मीनाकुमारी पुत्री श्री देवीलाल, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा
14. मोहन पुत्र श्री रहीमा, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
15. रमेशसिंगाडींया पुत्र श्री अन्नाराज, उम्र–वयस्क, जाति जटिया, निवासी जटीयों का बास सोजत तहसील सोजत,
16. राजेन्द्र पुत्र श्री भीमा, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
17. शांति पुत्री श्री डुगां, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
18. सुरेश पुत्र श्री रोशन, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
19. सुवोदवी पत्नि श्री रोशन, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर
20. हेमराज, पुत्र श्री देवीलाल, उम्र–वयस्क, जाति भाण्ड, निवासी नानणा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
21. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला ब्यावर राज.

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 92 व 188 राज. काश्त. अधि.

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवन्तसिंह सांखला अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी श्री भुपेन्द्र सेन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,07,14, 15, 16 एवं शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा देवलीखुर्द पटवार हल्का रेलड़ा के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क्र स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	प्रकाशचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र हि. पूर्ण जाति मेघवाल सा. नानणा खातेदार	11/1 11/2	0.0930 0.2898	बा. दो. बा दो.	0.14 0.45
		2	0.3828	बा.दो.	0.59
2	रमेश सिगाडिया पुत्र अन्नराज हि0 पूर्ण जाति जटिया सा. सोजत पाली खातेदार	11/3	0.0792	बा. दो.	0.12
3	23. कंचन पत्नि मोहन हि. 1/25 24. कंचनदेवी पत्नि देविलाल हि. 4/375 25. कुलदीप पुत्र पप्पुलाल हि. 2/125 26. कांता पत्नि डुंगा हि. 8/125 27. किशना पुत्र जफरू हि. 8/125 28. कौशल्या पुत्री रोशन हि. 1/25 29. खेमराज पुत्र देवीलाल हि. 4/375 30. पतासी पत्नि भीमा हि. 48/125 31. प्रदीप पुत्र पप्पुलाल हि. 2/125 32. पिंकी कुमारी पुत्री देवीलाल हि. 4/375 33. पिन्टुकुमार पुत्र देवीलाल हि. 4/375 34. मुकेश पुत्र रोशन हि. 1/25 35. मदन पुत्र रहीमा हि. 1/25 36. मीनाकुमारी पुत्री देवीलाल हि. 4/375	11 12	1.5210 0.1295	बा. दो. बा दो.	2.34 0.20

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

	37. मोहन पुत्र रहीमा हि. 1/25 38. राजेन्द्र पुत्र भीमा हि. 2/125 39. रीना पुत्री पप्पुलाल हि. 2/125 40. शान्ति पुत्री डूंगा हि. 8/125 41. सुमित्रा पत्नि पप्पुलाल हि. 2/125 42. सुरेश पुत्र रोशन हि. 1/25 43. सुवादेवी पत्नि रोशन हि. 1/25 44. हेमराज पुत्र देवीलाल हि. 4/375 जाति भांड सा. नानणा खातेदार				
	25. प्रकाशचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र हि. 29/160 जाति मेघवाल सा. नानणा 26. रमेश सिगाडिया पुत्र अन्नराज हि. 3/80 जाति जटिया सा. सोजत पाली खातेदार 27. कंचन पत्नि मोहन हि. 1/32 28. कंचनदेवी पत्नि देविलाल हि. 1/120 29. कुलदीप पुत्र पप्पुलाल हि. 1/80 30. कांता पत्नि डुंगा हि. 1/20 31. किशना पुत्र जफरू हि. 1/20 32. कौशल्या पुत्री रोशन हि. 1/32 33. खेमराज पुत्र देवीलाल हि. 1/120 34. पतासी पत्नि भीमा हि. 3/10 35. प्रदीप पुत्र पप्पुलाल हि. 1/80 36. पिंकी कुमारी पुत्री देवीलाल हि. 1/120 37. पिन्टुकुमार पुत्र देवीलाल हि. 1/120 38. मुकेश पुत्र रोशन हि. 1/32 39. मदन पुत्र रहीमा हि. 1/32 40. मीनाकुमारी पुत्री देवीलाल हि. 1/120 41. मोहन पुत्र रहीमा हि. 1/32 42. राजेन्द्र पुत्र भीमा हि. 1/80 43. रीना पुत्री पप्पुलाल हि. 1/80 44. शान्ति पुत्री डूंगा हि. 1/20 45. सुमित्रा पत्नि पप्पुलाल हि. 1/80 46. सुरेश पुत्र रोशन हि. 1/32 47. सुवादेवी पत्नि रोशन हि. 1/32 48. हेमराज पुत्र देवीलाल हि. 1/120 जाति भांड सा. नानणा खातेदार	10	0.0162	गै.मु. बेरा	–

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है।

नीज..................×................मुबलिक...............×..............बाबत्............×............. खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×..........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.09.2024 को जारी किया गया।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	06	00	स्टाम्प वकालतनामा –	02	00
स्टाम्प वकालतनामा –	02	00	स्टाम्प हाजरी		
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान –			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर –			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा –			मुतफरिक	00	00
मुतफरिक –		00	मीजान		
मीजान	08	00		02	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:35 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।